न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1037/2003/भरतपुर

1- बाबू,
2- दीना,
3- लखनसिंह पिसरान हरीसिंह,
4- लालाराम,
5- रामस्वरूप,
6- कमल पिसरान दर्जन,
7- मन्ता पुत्र सोकसट,
8- रोशन पुत्र बालू,
9- गोविन्दा पुत्र रामफल,
10- बलराम पुत्र रामफल,
11- किशन पुत्र हरबक्श,
12- भगवत पुत्र बल्ला,
13- रमेश पिसरान गंगासहाय,
14- सुक्खन पुत्र बल्ला,
15- समयसिंह पुत्र मंगल,
16- सुफेदा पुत्र निनुआ,
17- रामचन्द पुत्र मंगू,
18- कजोड़ी पुत्र मोहन,
19- भिक्की पुत्र रामसहाय,
20- वन्नी पुत्र कन्हीराम,
21- हरचन्द पुत्र जंगली,
22- कालू पुत्र जोरावर,
23- सट्टा पुत्र मंगू,
24- रामबक्श पुत्र सुक्का सभी जाति गूजर निवासी ग्राम सैमलाखुर्द तहसील नगर जिला भरतपुर।

...........अपीलांट्स

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्री वैभव पारीक अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय दिनांक :- 30.10.2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरुद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-5-2002 अपील सं0 29/2002 बउनवानी हरीसिंह वगैरा बनाम सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सायल/प्रार्थी/रेस्पो0 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि साबिक ख0 नं0 128/20-4 बीघा हाल नम्बरान 163 से 174 उपर अप्रार्थी सम्वत् 2024 सवे शिकमी काश्त कर रहे हैं और धारा 45-46 का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त आराजीयात से अप्रार्थी को बेदखल मिकया जावें व आराजी को कब्जे राज लिया जावें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 4-12-2001 को प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी कब्जे राज ली जाकर सिवायचक दर्ज की गई। जिस आदेश के खिलाफ अपीलांट ने अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग में प्रस्तुत की गई जो विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर दिनांक 24-5-2002 को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 24-5-2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं कि कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 128 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा पर अपीलांट छोटे पुत्र गिरवर, धनीराम पुत्र मदारी एवं रामफल पुत्र हरबक्श जाति गूर्जर का सम्वत् 2012 से पूर्व से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं तथा राजस्व रेकार्ड में उनके नाम खातेदारी चली आ रही है। अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में अपीलीय न्यायालय व सहायक कलक्टर डीग की डिक्री दिनांक 7-8-1962 की प्रति प्रस्तुत की है तथा नकल राजीनामा व आर्डरशीट दिनांक 7-8-1962 पेश की है। मुकदमा सं0 94/62 उनवान छोटे बनाम भज्जू निर्णय डिक्री दिनांक 7-8-1962 के तहत अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य जो राजीनामा हुआ है उसके तहत कोई जमीन सबलेट नहीं हुई है क्योंकि अपीलांट का कब्जा सम्वत् 2012 से पूर्व से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त प्रकरण में किसी भी तरह की आराजी का हस्तान्तरण नहीं हुआ है व न ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा आराजी का हस्तान्तरण हुआ है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 46 (ए) लागू नहीं होती है।

अपीलीय न्यायालय का कथन कि अपील में श्योदान व सुल्तान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, केवल मात्र इसको आधार मानकर अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है जबकि अपील में उन्हें आवश्यक पक्षकार समझती तो अपीलीय न्यायालय उन्हें पक्षकार बना सकती थी। राजीनामा जो पक्षकारों में हुआ था इसको अप्रार्थी सं0 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया है। इसलिए राजीनामा अंतिम आदेश की परिभाषा में आता है। इसलिए दोनोंअधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानून एवं सिद्धान्तों से विपरीत होकर क्षेत्राधिकार से परे हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के कतई विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। उन्होंने अपने कथन की ताईद में डी0एन0जे0 (राज0) 1999 पेज 761 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5- इसके विपरीत विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी पर सवर्ण जाति का कब्जा होने से तहसीलदार नगर द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सही कार्यवाही की है। पूर्व में अपीलांट द्वारा जिस दावे के निर्णय का हवाला दिया है वह विधिसम्मत नहीं है क्योंकि वादी छोटेलाल गुर्जर जाति का है तथा प्रतिवादी भज्जू मीना जाति का है। इस राजीनामा के आधार पर अनुसूचित जाति की जमीन पर सवर्ण के पक्ष में डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। राजीनामा कानून के विपरीत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7- विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर ने अपने निर्णय दिनांक 4-1-2001 में माना कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि का सवर्ण जाति के व्यक्तियों को सबलेटिंग किया जाना साबित होने से प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार स्वीकार किया जाता है एवं आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर भूमि कब्जे राज ली जावें व सिवायचक दर्ज की जावें। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-5-2002 में अंकित किया कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन पर अपीलांट का कब्जा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानकर निर्णय पारित किया है। चूंकि अनुसूचित जाति के व्यक्त्यिों द्वारा भूमि का सबलेटिंग देना जाहिर किया है। इसके अलावा श्योदान, सुलतान पि0 भज्जू मीना को

कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं0 1 व 2 थे उन्हें भी अपीलांट द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि बनाया जाना चाहिए था। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर अपील खारिज की जाती है।

8- अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-5-2002 में अंकित किया है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन पर अपीलांट का कब्जा अधीनस्थ नयायालय द्वारा मानकर निर्णय पारित किया है। चूंकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि को सब लेटिंग देना जाहिर किया है। इसके अलावा श्योदान, सुलतान पि0 भज्जू कौम मीना जो कि अधीनस्थ न्यायालय में नं0 1 व 2 प्रतिवादी थे उन्हें भी अपीलांट द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गा है जो कि बनाया जाना चाहिए था। अतः उक्त विवेचन के मध्य नजर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2024 में साबिक नं0 128/20-4 बि0 पर मंगू पि0 देवी कौम मीना सा0देह खातेदार व का0 छोटे पि0 गिरधर व मनीराम पि. मदारी, रामफल पि0 रामबक्श ब.हि. बराबर 15 बी. व घासी पि0 कल्ला कौम गुजर सा0देह 5-4 बीघा शिकमी दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2053-2056 में भी आराजी ख0 नं0 163 ल0 173 व 175 श्योदान, सुलतान पि0भज्जू ब.हि. बराबर कौम मीना सा0देह खातेदार कुल किता 12/3-11 बीघा दर्ज है। सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 7-8-1962 में अंकित है कि वरविनाय राजीनामा दावा मुदाईयान इस प्रकार डिगरी किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 128 मिन/157 वाके मौजा सैमलाखुर्द सम्वत् 2016 से सम्वत् 2018 तक मुदाईयान के नाम काश्त का इन्द्राज किया जावें औरे मुदा0 इस आराजीयात में मजाहमत मदाखलत न करें। अपीलांट का कथन है कि निर्णय डिक्री दिनांक 7-8-1962 के तहत अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य जो राजीनामा हुआ है उसके तहत कोई आराजी सबलैट नहीं हुई है क्योंकि अपीलांट का कब्जा सम्वत् 2012 से पूर्व से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त मुकद्में में किसी भी तरह का जमीन का सबलैट नहीं हुआ है, न ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा आराजी का हस्तान्तरण हुआ है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 46 (ए) लागू नहीं होती है।

10- विद्वान सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 7-8-1962 के अवलोकन से स्पष्ट है कि काश्त का इन्द्राज किये जाने का आदेश दि गया है जिससे धारा 42 (बी) तथा 46 (क) राजस्थान काश्तकारी का स्पष्ट उल्लंघन विदित होता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की आराजी पर किसी सवर्ण

के पक्ष में राजीनामा के आधार पर भी कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

11- श्योदान, सुल्तान पि0 भज्जू कौम मीना को अपीलांट द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि बनाया जाना चाहिए था।

12- अतः सहायक कलक्टर द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से यथावत रखा गया है।विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

13- अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-5-2002 एवं सहायक कलक्टर, नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4-1-2001 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य